an>

Title: Need to provide reservation to people belonging to SC/ST category who converted to Buddhism.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)ः भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 1990 को पत्र संख्या 12016/33/90-SCD (R.Cell) द्वारा सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित राज्यों को लिखा था कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग, जिन्हें आरक्षण की सुविधा मिल रही है, को बौद्ध धर्म में धर्मांतरित होने के बाद उन्हें जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएं और उसमें धर्म के कॉलम में बौद्ध और उनकी धर्मांतरण से पहले की जाति को दर्शाते हुए प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएं। लेकिन ज्यादातर प्रदेशों ने उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के सचिव ने पत्र संख्या 933 दिनांक 26 मार्च, 2016 के माध्यम से निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को लिखकर पुष्टि करनी चाही है कि 20 नवम्बर, 1990 को जारी सर्कुलर अभी भी वैध है या नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में भारी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है और उन्हें आरक्षण की सुविधा पूर्ववत् मिलती रहनी चाहिए, लेकिन जब वे जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर धर्म के कॉलम में हिन्दु धर्म ही लिखना पड़ता है। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे देश के सभी राज्यों को इस संदर्भ में नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी करवाएं।